● **बीआरकेजीबी प्रीमियम सम्पत्ति ऋण योजना**

1	**उद्देश्य**	गैर विधिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्तिगत/व्यावसायिक कार्यो के लिए – जैसे चिकित्सा, विवाह, निवेश, बच्चो की शैक्षणिक फीस अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत/व्यावसायिक आकस्मिक आवश्यकता/खर्चो की पूर्ति हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। **रीयल एस्टेट डवलपर्स, प्रोपर्टी डीलर्स, ब्रोकर, शेयर/स्टॉक ब्रोकर एवं Speculative activities में संलिप्त व्यक्तियों के प्रस्ताव योजना में स्वीकृति योग्य नहीं है।**
2	**पात्रता**	● वेतनभोगी कर्मचारियों, व्यवसायियों/स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मो (एकल स्वामित्व, साझेदारी), कम्पनी आदि के नाम पर बीआरकेजीबी प्रीमियम सम्पत्ति ऋण योजनान्तर्गत अग्रिम सुविधा स्वीकृत की जा सकती है। ● कम्पनी को ऋण स्वीकृति के मामलों में प्रतिभूत सम्पत्ति कम्पनी अथवा कम्पनी के निदेशकों के नाम पर होनी चाहिए। ● वेतनभोगी कर्मचारी, व्यवसायी/स्वनियोजित व्यक्तियों के मामलों में स्वीकृति योग्य सीमा के निर्धारण हेतु उनके पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू एवं सगे भाई की वार्षिक आय को भी जोड़ा जा सकता है, बशर्त कि ऐसे व्यक्तियों को ऋण हेतु सहऋणी बनाया जाये एवं ये विगत 3 वर्षो से नियमित आयकर निर्धारिती हो।
3	**सुविधा का प्रकार**	वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा आवधिक ऋण एवं व्यवसायी/स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मो (एकल स्वामित्व, साझेदारी) कम्पनी के लिए आवधिक ऋण/अधिविकर्ष सुविधा के रुप में स्वीकृत की जा सकेगी।
4	**ऋण सीमा**	**I. शहरी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के विरूद्ध अधिकतम ₹300.00 लाख** **II. अर्द्धशहरी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के विरूद्ध अधिकतम ₹200.00 लाख** III. वेतन भोगी कर्मचारी की दशा में सकल मासिक आय का 36 गुना IV. स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मो (एकल स्वामित्व, साझेदारी) कम्पनी के मामले में 3 वर्षो की औसत आय का 5 गुना (आयकर विवरणी में दर्शायी गयी कुल आय में सें आयकर की राशि घटाने के बाद) आवेदकों की नियमित आय को ही आधार मानते हुए ऋण सीमा निर्धारण किया जाये। **Capital gain से प्राप्त आय को ऋण सीमा निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाये।** V. प्रतिभूति हेतु प्रस्तावित अचल सम्पति के DSV का 50% (उक्त बिन्दु (i,ii,iii,iv,v) में से जो कम हों) **न्यूनतम स्वीकृति योग्य राशि ₹ 15.00 लाख**
5	**प्रतिभूति**	i. आवेदक के नाम शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्र में स्थित भार मुक्त, व्यावसायिक/औद्योगिक/आवासीय अचल सम्पत्ति। ii. व्यावसायिक/औद्योगिक/आवासीय अचल सम्पत्ति में व्यावसायिक/औद्योगिक/आवासीय भूखण्ड, या भूखण्ड और उस पर निर्मित भवन, शामिल होंगे। iii. यदि प्रतिभूति में प्रस्तावित अचल सम्पत्ति पर कोई व्यावसायिक/औद्योगिक/आवासीय भवन निर्मित हों तो निर्माण कार्य सामान्यतः 20 वर्षो से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। अचल सम्पत्ति ऐसी होनी चाहिए, जिसे किरायेदार से मुक्त करवाना मुश्किल न हो। iv. प्रतिष्ठित दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत

6	**ब्याज दर**	समय–समय पर बैंक द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रभावी
7	**सेवा प्रभार**	समय – समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार प्रभावी।
8	**पुनर्भुगतान अवधि**	I. आवधिक ऋण हेतु 84 मासिक किश्ते (समान मासिक किश्तों में) II. वेतनभोगी कर्मचारियो के मामले में पुनर्भुगतान अवधि उसकी सेवानिवृति की शेष अवधि से अधिक नही होनी चाहिये। III. आवधिक ऋण के मामले में कुल कटोतियों की राशि (इस सुविधा की किश्त व ब्याज राशि को शामिल करते हुए, कुल आय के 60% से अधिक नही होनी चाहिए।